



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2019/चैत्र 28, 1941

No. 259]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2019/CHAITRA 28, 1941

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 310(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्याह्न भोजन नियम, 2015 को संशोधित करने के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों को मध्याह्न भोजन (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मध्याह्न भोजन नियम, 2015 में, नियम 5 में, उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक विद्यालय में साफ-सुथरे ढंग से भोजन पकाने की सुविधा होगी। शहरी क्षेत्र में विद्यालय केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, जहां कहीं आवश्यक हो, भोजन पकाने के लिए केंद्रीकृत रसोईघरों की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को भोजन केवल संबंधित विद्यालय में ही परोसा जाएगा।"

[फा. सं. 1-6/2009-डेस्क(एमडीएम)]

आर. सी. मीना, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 743(अ), तारीख 30 सितंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें सा.का.नि. 471(अ), तारीख 16 मई, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2019

G.S.R. 310(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mid-Day Meal Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Mid-Day Meal (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mid-Day Meal Rules, 2015, in rule 5, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) Every school shall have the facility for cooking meal in hygienic manner. Schools in urban area may use the facility of centralised kitchens for cooking meals wherever required in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the meal shall be served to the children at respective school only”.

[F. No. 1-6/2009-Desk(MDM)]

R. C. MEENA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 743(E), dated the 30th September, 2015 and amended vide notification No. G.S.R. 471(E), dated the 16th May, 2017.